न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

अपील नामान्तकरण संख्या –4 / 2018

तारीख रजू – 28.05.2018

उनवान

1.लखपतसिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश

2.जसवीरसिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश

3.मुकेशसिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश

4.मुकुटसिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश

5.श्रीमती सत्यवती पत्नी स्व0 राजवीरसिंह

6.बृजपालसिंह पुत्र स्व0 राजवीरसिंह

7.हरीश कुमार पुत्र स्व0 राजवीरसिंह

8.गुनेश पुत्री राजवीरसिंह

9.पूनम पुत्री राजवीरसिंह

10.श्रीमती रमा पत्नी स्व0 हरवीरसिंह

11.सचिन पुत्र हरवीरसिंह

12.[illegible]ता पुत्री हरवीरसिंह

13.[illegible] पुत्री स्व0 जगदीश

समस्त जाति मीना निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

– अपीलान्ट

विरुद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–रेस्पोडेन्ट

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 05.10.1995 ग्राम महस्वा बावत तत्कालीन खाता संख्या 759 किता 38 कुल रकबा 14.34 हैक्टयर जिसका हाल खाता संख्या 962 संवत 2072 से 2075 के संबंध मे।

उपस्थिति– राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट टोडाभीम – पक्ष अपीलान्ट

उपस्थिति – स्वंय उपस्थित –पक्ष रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 19.06.2018

अपीलान्ट ने अपील पेश कर कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 05.10.1995 ग्राम महस्वा बावत तत्कालीन खाता संख्या 759 किता 38 कुल रकबा 4.34 हैक्टयर जिसका हाल खाता संख्या 962 संवत 2072 से 2075 के संबंध मे यह अपील प्रस्तुत की गई है। यह नामान्तकरण पूर्व खातेदार मलूकचंद मीना डोडिया हिस्सा 6 बीघा के स्थान पर विरासत का जगदीश, रतनसिंह पुत्र कुन्दनलाल हिस्सा 4 बीघा व जगपाल, चन्द्रपाल, सुन्दर, सोमवीर पुत्र कंचन जाति मीना डोडिया हिस्सा 2 बीघा का खोला गया है तथा नामान्तकरण मे पटवारी हल्का द्वारा लिखा है कि कृषक मूलचंद मीना डोडिया लाऔलाद फौत हो चुका है उसके भाई व भाईयो के लडको के हक मे नामान्तकरण भरकर प्रस्तुत किया है। इस नामान्तकरण को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत महस्वा ने स्वीकार कर तस्दीक किया है जबकि यह नामान्तकरण गलत व अवैध रूप से भरा व तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट के बाबा व बडबाबा सुक्का व कुन्दन खास भाई थे, सुक्का का पुत्र जगदीश डोडिया है, अपीलान्ट के पिता व बाबा का खास भाई कुन्दन था। इस प्रकार जगदीश की वल्दियत सुक्का है, कुन्दन गलत दर्ज कर दी गई है तथा यह अपील वल्दियत दुरस्ती के संबंध मे ही पेश की जा रही है। अपीलान्ट बाहर सर्विस करते है इसलिये इस नामान्तकरण की संबंध मे कोई जानकारी नही थी तथा रिलिफ चाही है कि अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 05.10.1995 ग्राम महस्वा तहसील टोडाभीम बावत तत्कालीन खाता संख्या 759 किता 38 कुल रकबा 14.34 हैक्टयर ग्राम महस्वा जिसका हाल खाता संख्या 962 बावत नाम जगदीश पुत्र कुन्दन निरस्त किया जाकर जगदीश पुत्र सुक्का दर्ज किया जावकर हाल जमाबंदी मे जगदीश पुत्र

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कुन्दन के स्थान पर जगदीश पुत्र सुवका दर्ज किया जावे तथा जगदीश के वारिसान अजीतलाल के नाम खाता 2 बीघा की खातेदारी दर्ज की जावे।

[illegible] का बयान रेस्पोंडेन्ट जारी हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या [illegible] उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा रेस्पोंडेन्ट ग्राम पंचायत महस्वा ने अपने जवाब में बयान किया कि इस नामान्तरकरण में जगदीश की वल्दियत कुन्दन लिखी हुई है जो गलत है, कुन्दन सुवका का भाई था, जगदीश की वल्दियत सुवका है अपील स्वीकार की जाकर इस भूमि में जगदीश की वल्दियत सुवका दर्ज करते हुये उनके वारिसान अजीतलाल के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा अपील स्वीकार की जावे। ग्राम पंचायत महस्वा को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट ने अपने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 05.10.1995 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है तथा जगदीश पुत्र सुवका का शजरा पेश किया है जो ग्राम पंचायत महस्वा द्वारा सत्यापित है। इस शजरा में जगदीश पुत्र सुवका के वारिसान अजीतलाल को बताया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत महस्वा ने परिवार प्रमाण पत्र दिनांक 28.01.2018 को जारी किया है जिसमें लिखा है कि सुवका पुत्र मनीराम का देहान्त हो चुका है, सुवका पुत्र जगदीश था तथा जगदीश के वारिसों का शजरा संलग्न किया जा रहा है। जगदीश पुत्र सुवका का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। हाल जमाबंदी संवत 2075 ग्राम महस्वा के खाता संख्या 862 की प्रस्तुत की है। फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 प्रस्तुत की है जो गिरदावर हल्का महस्वा द्वारा तैयार की गई है। इस फर्द मौका रिपोर्ट में सरपंच व गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर है तथा इस मौका जांच रिपोर्ट में लिखा है कि जगदीश के वारिसान मौजूद है, जगदीश पुत्र सुवका की मृत्यु दिनांक 26.05.2012 को हो गई है तथा जगदीश पुत्र सुवका के 6 लडके व 1 पुत्री होना बताया है, जगदीश के 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके वारिसान को बताया है जो मौजूद है तथा वंशावली जानने के लिये ग्राम से भी लिखित में लिया है, जगदीश के पिता का नाम सुवका ही था, जगदीश पुत्र सुवका नाम से इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत महस्वा में कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं वर्तमान में है तथा ग्राम पंचायत महस्वा ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 28.01.2018 में लिखा है कि जगदीश के पिता का नाम सुवका है, हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में वल्दियत कुन्दन लिखी हुई है जो गलत है, कुन्दन सुवका का भाई था इसलिये खातेदारी की भूमि में जगदीश

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

पुत्र सुक्खा दर्ज किया जावे। जगदीश मीना के आगे ढोडिया लिखा हुआ है यह ढोडिया पट्टी का नाम है. इसके अलावा जाणा का प्रमाण पत्र संलग्न है।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार इस भूमि मे जगदीश की वल्दियत कुन्दन निरस्त किया जाकर जगदीश पुत्र सुक्खा दर्ज किया जाकर अपीलान्ट के नाम जो जगदीश के वारिसान है दो बीघा की खातेदारी दर्ज की जावे।

मैने वकील अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। यह अपील नामान्तकरण मे दर्ज नाम जगदीश पुत्र कुन्दन के स्थान पर जगदीश पुत्र सुक्खा दर्ज करने के संबंध मे है तथा जगदीश के वारिसान के नाम विरासत के आधार पर खातेदारी नामान्तकरण खोलने की रिलिफ चाही है। ग्राम पंचायत महस्वा के वारिस प्रमाण पत्र, सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाणा की खिलावट, फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.06.2018 से यह साबित है कि इस नामान्तकरण मे जगदीश की वल्दियत कुन्दन गलत लिखी हुई है. सही वल्दियत सुक्खा है। यह प्रकरण सही वल्दियत दर्ज होने के संबंध मे है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को रिमान्ड की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे तथा इसमे प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो की प्रति भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
उपजिला मजिस्ट्रेट टोडाभीम
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner